



इंदिरा सागर परियोजना से विस्थापितों के व्यवसायिक ढाँचे का अध्ययन

डॉ.मंजुला भालसे
डॉ.बी.आर.अम्बेडकर , सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ,महू म.प्र.

डॉ. रेखा आचार्य रिडर
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंदौर म.प्र.

प्रस्तावना –

इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। खण्डवा जिले के पुनासा ब्लाक के पास नर्मदा नदी पर 92 मी. ऊँचा और 65.3 मी. लंबा वक्राकार क्रांकीट ग्रेविटी बांध है। इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई। बांध का निर्माण कार्य 1992 में प्रारंभ हुआ। इंदिरा सागर की जल संचय क्षमता देश के अन्य बांधों में सबसे अधिक है। नर्मदा घाटी में इस परियोजना का जलाशय लगभग 81 कि.मी. के भू-क्षेत्र में विस्तृत होगा। जिसके अंतर्गत 91.348 हेक्टेयर का भू-क्षेत्र डूब में आ गया है, जिसकी औसतन चौड़ाई लगभग 11.28 कि.मी. है, तथा बांध स्थल पर अधिकतम गहराई 92 मी. है। जल स्तर की अधिकतम घटत बढ़त लगभग 18.90 मी. है।¹

इंदिरा सागर परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5000 करोड़ रुपये हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 1,75,000 लोग तथा 250 गांव विस्थापित किए गए हैं। कुल 91.348 हेक्टेयर भूमि में से 41.444 हेक्टेयर भूमि जलमग्न है। सिंचाई के लिए 1,23,000 हेक्टेयर भूमि और बिजली का उत्पादन 1000 मेगावाट हैं। इंदिरा सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पर्याप्त बिजली उत्पादन है।

व्यवसायिक ढाँचे की संकल्पना –

किसी भी क्षेत्र में मोटे तौर पर हम व्यवसायों को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य इन्हें “प्राथमिक क्रियाओं” (Primary Activities) की संज्ञा दी जाती है। वे प्राथमिक हैं, क्योंकि उनके उत्पाद मानवीय अस्तित्व के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण हैं। विनिर्माण उद्योग जिनमें लघु मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योग शामिल हैं, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। खनन को कई बार द्वितीयक उद्योगों में शामिल किया जाता है। परन्तु उचित यही होगा कि इसे प्राथमिक क्रिया ही समझा जाए। परिवहन, संचार बैंकिंग एवं वित्त, व्यापार एवं अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में रखा जाता है। और वे देश में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं की सहायता करती हैं। व्यवसायिक वितरण का अर्थ देश की श्रमशक्ति का विभिन्न व्यवसायों या क्रियाओं में वितरण है।

कोलिन क्लार्क ने अपनी पुस्तक *Conditions of Economic Progress* में यह तर्क दिया कि किसी अर्थव्यवस्था के विकास और व्यवसायिक ढाँचे में घनिष्ठ संबंध हैं और आर्थिक विकास सामान्यतः कुछ विशेष एवं अनिवार्य व्यवसायिक ढाँचे में पूर्वानुमेय परिवर्तनों से संबंधित होता है। वे लिखते हैं “प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का उच्च स्तर सदैव कार्यकारी जनसंख्या का अधिक अनुपात तृतीयक उद्योगों से जुड़ा होता है। प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय सदैव तृतीय उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या के निम्न अनुपात से प्राथमिक उत्पादन के उच्च अनुपात से संबंधित होती है।” **“ए.जी.बी.फिशर** भी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं निवेश अनिवार्यतः प्राथमिक क्रियाओं से सभी प्रकार की द्वितीयक क्रियाओं की ओर होता है और इनसे भी अधिक तृतीयक उत्पादन की ओर होता चला जाता है। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने **कोलिन क्लार्क** के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और इसे सत्य माना है, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

¹ मध्यप्रदेश संदर्भ भोपाल (2003), पृ. क्र. 156

आर्थिक विकास की प्रगति के साथ राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है। कृषि पर आधारित जनसंख्या के अनुपात में गिरावट आती है और उद्योग और सेवाओं का अनुपात बढ़ जाता है। अतः ये बातें एवं तथ्य कोलिन क्लार्क के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि जैसे-जैसे आर्थिक विकास में प्रगति होती जाती है, उसी के साथ राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इसी के साथ व्यवसायिक ढाँचे में उत्तरोत्तर परिवर्तन, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्रों एवं द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्रों की ओर होता जाता है।²

व्यवसायिक ढाँचे का अर्थ –

सामान्यतः व्यवसायिक ढाँचे से तात्पर्य 'किसी विशेष अर्थतंत्र, उद्योग अथवा संयंत्र में काम कर रहे समस्त व्यक्तियों को सर्वोच्च श्रम कोटि देकर निम्नतम श्रम-कोटि के अंतर्गत स्थानानुसार श्रेणी या संहिताबद्ध करना होता है किन्तु इसे अन्य तरीकों से भी परिभाषित किया गया है—³

- Occupation of a person; usual or principal work or business, especially a means of earning a living. (व्यक्ति या व्यक्तियों का व्यवसाय सामान्य अथवा मुख्य कार्य या व्यवसाय विशेषकर जीवन जीने हेतु कमाने से संबद्ध है।)
- Any activity in which a person is engaged. (कोई भी गतिविधि जिसमें व्यक्ति संलग्न हो।)
- Possession, settlement, or use of land or property. (किसी संपत्ति या भूमि का उपयोग, अधिपत्य एवं पुनर्वास।)
- A person's regular work or professional job or principal activity. (किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया नियमित कार्य या व्यवसायिक कार्य या प्रधान गतिविधि।)
- Any activity on which time is spent by a person. (ऐसी गतिविधि जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा समय व्यतीत किया हो।)⁴

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवसायिक ढाँचे से तात्पर्य जीवन-यापन हेतु आर्थिक गतिविधि से है। व्यवसायिक ढाँचे के अंतर्गत इनको छः भागों में बाँटा गया है।

1. कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन
2. खनन एवं उत्खनन
3. विनिर्माण, निर्माण
4. व्यापार, होटल,
5. वित्त प्रबंधन, बीमा, वास्तविक जायदाद और व्यापार सेवाएँ
6. साधन लागत पर सकल देशी उत्पाद

अक्सर अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले ढाँचागत परिवर्तन एवं व्यवसायिक ढाँचों को एक मान लिया जाता है जबकि ढाँचा परिवर्तन और व्यवसायिक ढाँचे में परिवर्तन दो अलग-अलग चीजे हैं। विकसित देश में ढाँचा परिवर्तन के ऐतिहासिक अनुभव जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाता है और यह गमता प्राप्त करता है, इन अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद और श्रमशक्ति के अनुपात में परिवर्तन होता है। इस संरचनात्मक परिवर्तन के ढाँचे में सामान्यतया तथा कृषि से उद्योग की ओर फिर बाद में सेवाओं की ओर परिवर्तन का सिलसिला आरम्भ हो जाता है।⁵

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. यह ज्ञात करना कि इंदिरा सागर परियोजना से विस्थापितों के पश्चात् विस्थापितों के व्यावसायिक ढाँचे में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. परिवारों की आय में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. प्रभावितों के रोजगार की स्थिति में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।

² Colin Clark (1940), the conditions of economic progress P.No. 282, सुंदरम् के.पी.एम., दत्त रुद्र, (2003), भारतीय अर्थव्यवस्थाएँ, चंद एंड कं.लि.नई दिल्ली पृ. 54

³ "समाज का परिभाषा कोश" (1973), पृ. 91

⁴ site of <http://www.definitions.net/occupation>

⁵ Colin Clark (1940), the conditions of economic progress P.No. 282 सुंदरम् के.पी.एम., दत्त रुद्र, (2003), भारतीय अर्थव्यवस्थाएँ, चंद एंड कं.लि.नई दिल्ली पृ. 54

4. इंदिरा सागर परियोजना से पूर्णतः विस्थापित परिवारों की वर्तमान आर्थिक और परिस्थितिक स्थिति का आंकलन एवं उनकी पूर्व की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन का क्षेत्र :-

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत खंडवा जिले की हरसूद तहसील का चयन किया गया है। क्योंकि सबसे अधिक विस्थापन इसी तहसील से हुआ है। इंदिरा सागर परियोजना से विस्थापित परिवारों को छनेरा गांव में बसाया गया है। इस परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का अधिकांश भाग इसी हरसूद तहसील के छनेरा गांव जो परियोजना स्थल के ऊपर पहाड़ी भागों में विस्थापित होकर बसा है। अध्ययन की सुविधा से इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है।

(अ) मैदानी भाग के गांव

1. हरसूद, सरकूलर

2. हरसूद माल

(ब) वनों से घिरे हुए गांव

1. मोही रैयत

2. आंकिया

3. भराड़ी रैयत

4. मोही माल

5. इन सभी गांवों से निर्देशन लिया गया है।

शोध विधि :-

इंदिरा सागर परियोजना के बनने से पूर्व इस क्षेत्र के लोग वनों के बीच राजस्व और वन ग्राम में निवास करते थे। जिनका मुख्य व्यवसाय वनोपज एवं कृषि था, लेकिन शासन की विकासात्मक योजनाओं के चलते व सिंचाई हेतु बांध निर्माण करने के उद्देश्य से इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला रखी गई। जिसके कारण परियोजना के चलते लोगों को इस क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ा तथा उनके द्वारा कि जा रही जीविकोपार्जन की स्थिति में गिरावट एवं कठिनाई हो रही है। समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

विस्थापन के कारण पारिवारिक ढँचे में हुआ परिवर्तन-

परिवार मानवीय समाज की आधारभूत इकाई है। जिसमें समाज का उद्भव होता है, क्योंकि परिवारों का समूह ही समाज है। इसलिए परिवार में बच्चों की उत्पत्ति, विकास और सामाजिकरण के उत्तरदायित्व का वहन होता है। समाज में परिवार एकांकी एवं संयुक्त दो प्रकार के पाये जाते हैं। एकांकी परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार जिसमें माता-पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में माता-पिता के साथ विवाहित बच्चों से लेकर दो-तीन या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं।⁶

तालिका क्र.01

परिवार का स्वरूप में विस्थापन से पूर्व एवं विस्थापन के पश्चात् हुआ परिवर्तन :-

क्र.	परिवार का स्वरूप	विस्थापन से पूर्व	विस्थापन के पश्चात्
		आवृत्ति	आवृत्ति
1.	संयुक्त	265 (53.0)	137 (27.4)
2.	एकांकी	235 (47.0)	363 (72.6)
	योग	500 (100)	500 (100)

स्रोत : सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित ।

उपरोक्त तालिका में परिवार का स्वरूप विस्थापन से पूर्व एवं विस्थापन के पश्चात् का आंकलन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विस्थापन के पश्चात् परिवार का विघटन हुआ है। मुजाल्दा (2002) ने भी अपने अध्ययन में जनजातीय क्षेत्रों में एकल परिवार की बहुलता का उल्लेख किया है। विस्थापन से पूर्व 53.0 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार एक साथ निवास करते थे। विस्थापन के पश्चात् 27.4 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त रूप से साथ रहते हैं। अतः 25.6 प्रतिशत संयुक्त

⁶ वर्मा, रूपचन्द्र, (1997), भारतीय जनजातियाँ अतीत के झरोखे से', सूचना प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.72

परिवारों में कमी दर्ज की गई है। विस्थापन के पूर्व मात्र 47.0 प्रतिशत उत्तरदाता एकांकी परिवार निवास करते थे। विस्थापन के पश्चात् 72.6 प्रतिशत उत्तरदाता एकांकी परिवार विस्थापित क्षेत्र में निवास करते हैं। अतः 25.6 प्रतिशत एकांकी परिवारों में वृद्धि हुई है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विस्थापन के पश्चात् परिवारों के स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। विस्थापन के पश्चात् संयुक्त परिवार के स्वरूप में गिरावट का प्रमुख कारण मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि ही है जिसके कारण परिवार विघटित हुए हैं।⁷

विस्थापन क्षेत्र के परिवारों का विस्थापन से पूर्व एवं पश्चात् के व्यवसायिक ढाँचे का अध्ययन—व्यवसाय के आधार शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यवसायिक संरचना से हैं, किसी व्यक्ति एवं परिवार द्वारा किए जा रहे आर्थिक कार्य की अवस्था से हैं। यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है।⁸

भारत वर्ष को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। इसी प्रकार देश के प्रत्येक कोने में अलग-अलग भौगोलिक दशाओं के चलते यहाँ कृषि के प्रकार में भी भिन्नता पायी जाती है इसी प्रकार हरसूद का क्षेत्र, एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इसके अलावा सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन, सेवाकार्य, वनोंपज, मजदूरी व दुकानदारी भी करते हैं।

सर्वेक्षण के दौरान इस पूरे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह था कि **विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों के व्यवसायिक ढाँचे में क्या परिवर्तन आये**, व्यवसायिक ढाँचे का विश्लेषण करने पर पाया गया कि विस्थापन से पूर्व विस्थापित परिवार मुख्यतः 9 तरीकों के व्यवसाय में संलग्न थे। जिसमें कृषि, इंदिरा सागर परियोजना में कार्य, मजदूरी, व्यापार, पशुपालन, पुश्तैनी व्यवसाय, शासकीय नौकरी, पेंशन, आदि व्यवसायों में लगे हुये थे। इन सभी व्यवसायों की स्थिति का अध्ययन तालिका के माध्यम से कर रहे हैं।

विस्थापित परिवारों के विस्थापन के पूर्व एवं विस्थापन के पश्चात् व्यवसायिक ढाँचे के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. में दर्शाया गया है—

तालिका क्र. 02
विस्थापन के पूर्व एवं विस्थापन के पश्चात् व्यवसायिक ढाँचे

क्र.	व्यवसाय संरचना	विस्थापन से पूर्व	विस्थापन के पश्चात्
1.	कृषि	137(27.4)	84(16.8)
2.	इंदिरा सागर परियोजना में नौकरी	1(0.2)	1(0.2)
3.	मजदूरी	121(24.2)	140(28.0)
4.	घरेलु कार्य/बेरोजगारी	1(0.2)	60(12.0)
5.	व्यापार	185(37.0)	172(34.4)
6.	पशुपालन	21 (4.2)	1 (0.2)
7.	पुश्तैनी व्यवसाय	14(2.8)	28(5.6)
8.	शासकीय नौकरी	13(2.6)	6(1.2)
9.	पेंशन	7(1.4)	8(1.6)
	योग	500(100)	500(100)

स्रोत : सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित ।

⁷ मुजाल्दा, एम.एस. (2000), 'अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर जलग्रहण एवं सिंचाई योजनाओं का प्रभाव, शोध-प्रबंध, (प्रकाशित), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, पृ. 91

⁸ Pande, p.k. (1991), "Tribal occupation and New dynamics", mittal publications, New Delhi, p. 12

उपरोक्त तालिका में सर्वेक्षित परिवारों में 12 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार पाये गये। ये वे परिवार थे जो विस्थापन से पूर्व कृषि में संलग्न थे। विस्थापन से पूर्व में 27.4 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार कृषि कार्य में संलग्न थे, वहीं विस्थापन के पश्चात् 16.8 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार कृषि कार्य में संलग्न है। अतः 10.6 प्रतिशत की कमी कृषि कार्य करने वालों में कमी दर्ज की गई है। मजदूरी करने वाले उत्तरदाता परिवार जो विस्थापन से पूर्व मात्र 24.2 प्रतिशत थे, वहीं विस्थापन के पश्चात् 28 प्रतिशत हो गये हैं। अतः मजदूरी करने वाले उत्तरदाता परिवारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। ऐसे विस्थापित परिवार जो व्यापार में लगे थे, उनमें 3 प्रतिशत की कमी पाई गई। इसी प्रकार अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे पशुपालन, पुश्तैनी व्यवसाय, एवं शासकीय नौकरी में भी कमी आई है। विस्थापन से पश्चात् 16.8 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि करते हैं। 0.2 प्रतिशत उत्तरदाता इंदिरा सागर परियोजना में कार्य कर रहे हैं। 28.0 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूरी कर रहे हैं। 34.4 प्रतिशत उत्तरदाता व्यापार कर रहे हैं। 0.2 प्रतिशत उत्तरदाता पशुपालन करते हैं। 5.6 प्रतिशत उत्तरदाता पुश्तैनी व्यवसाय करते हैं। 1.2 प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय नौकरी करते हैं, 1.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पेंशन मिलती है। इस संदर्भ में "विस्थापन के पश्चात् विस्थापितों के व्यवसायिक ढँच में परिवर्तन हुआ है।"

5.6 विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् की व्यवसायिक स्थिति में अंतर :-


सर्वेक्षण के दौरान परिवार के मुखिया से इस प्रकार का प्रश्न किया था कि क्या आप पूर्व के व्यवसाय को ही वर्तमान समय में कर रहे हैं ? क्या आपके द्वारा पूर्व के व्यवसाय को छोड़कर नया व्यवसाय प्रारंभ किया गया है ? यदि किया गया है तो पूर्व के व्यवसाय से वर्तमान व्यवसाय में क्या अंतर है ? अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि 256 (51.2) प्रतिशत विस्थापित परिवारों के उत्तरदाताओं ने कहा कि पूर्व के व्यवसाय को ही वर्तमान समय में कर रहे हैं। 244 (48.8) प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पूर्व के व्यवसाय को वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं। विस्थापित परिवारों के विस्थापन के पश्चात् व्यवसायिक स्थिति में अंतर के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. में दर्शाया गया है-

तालिका क्र. 03

विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् की व्यवसायिक स्थिति में अंतर

क्र.	विवरण	पूर्व के व्यवसाय से आय अधिक होती थी	वर्तमान व्यवसाय से आय अधिक होती है	कुछ कह नहीं सकते	नया व्यवसाय प्रारंभ करने में अधिक कठिनाई हो रही है	आय कम हो गई है	योग
1.	हाँ	41 (16.0)	8 (3.1)	33 (12.9)	86 (33.6)	88 (34.4)	256 (51.2)
2.	नहीं	53 (21.7)	10 (4.1)	39 (16.0)	48 (19.7)	94 (38.5)	244 (48.8)

स्रोत : सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित ।



उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ के माध्यम से पूर्व के व्यवसाय को छोड़कर नया व्यवसाय प्रारंभ किया गया है उसका पूर्व के व्यवसाय से वर्तमान व्यवसाय में क्या अंतर है का अध्ययन किया गया है। 36.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि आय कम हो रही है एवं 26.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को नया व्यवसाय प्रारंभ करने में अधिक कठिनाई हो रही है तथा 18.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पूर्व के व्यवसाय से आय अधिक होती थी। 3.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वर्तमान व्यवसाय से आय अधिक होती है। 14.4 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

विस्थापन का व्यवसायिक ढँचि पर प्रभाव :-

विस्थापन से किसी भी समाज की संपूर्ण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है जिससे उनका व्यवसायिक जीवन प्रभावित होता है, और समाज में यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। प्रस्तुत अध्ययन के ये निष्कर्ष लोकनायक बुलेटिन (1995), के अध्ययन से मेल खाते हैं। जिन्होंने अपने अध्ययनों में विस्थापन अवधारणा से आशय लोगों का अपने पैतृक स्थान से हटना है व पुनर्वास अवधारणा से आशय पैतृक स्थान से हटकर अन्य जगह पुनर्वासित होना पड़ता है।⁹

इंदिरा सागर परियोजना से विस्थापित परिवारों पर विस्थापन के पश्चात् आपके व्यवसाय पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका क्र. 04 में दर्शाया गया है—

तालिका क्र. 04
विस्थापन के पश्चात् आपके व्यवसाय पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा ?

क्र.	विस्थापन के पश्चात् आपके व्यवसाय पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा ?	आवृत्ति
1.	व्यवसाय बदलना पड़ा	65 (13.0)
2.	पुराना व्यवसाय कर रहे हैं ।	134 (26.8)
3.	व्यवसाय नहीं मिला	170 (34.0)
4.	विस्थापन के पहले बहुत अच्छा व्यवसाय हुआ	115 (23.0)
5.	विस्थापन के पश्चात् व्यवसाय बहुत कम हो गया	16 (3.2)
	कुल योग	500 (100)

स्रोत : सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित ।

उपरोक्त तालिका में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न उत्तरदाताओं कि विस्थापन के पश्चात् उनके व्यवसाय पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। 13.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि व्यवसाय बदलना पड़ा। 26.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि पुराना व्यवसाय कर रहे हैं। 34.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि व्यवसाय नहीं मिला, 23.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि विस्थापन पहले कि तुलना में बहुत अच्छा व्यवसाय हुआ है। 3.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि विस्थापन के पश्चात् व्यवसाय बहुत कम हो गया। अतः स्पष्ट होता है कि विस्थापन के पश्चात् लोगो कि स्थिति पहले कि अपेक्षा बहुत खराब हो गई है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। वह इधर-उधर काम की तलाश में भटकते रहते हैं।

अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, कि विस्थापित होने के पश्चात्, पुनर्वासित परिवारों का 34 प्रतिशत से अधिक किसी न किसी तरह से अपने आपको पहले जैसा ढालने का प्रयास कर रहे हैं ।

⁹ लोकनायक बुलेटिन, (1995),

सुझाव :-

1. कृषिभूमि के बदले में कृषिभूमि देना चाहिए। भूमि अधिग्रहण नीति की लोंगो को बड़ी चिंता है लेकिन प्रधान कानून अभी तक नहीं बना है। अर्थात भूमि अधिग्रहण नियम 1894 पुनः संशोधित करना चाहिए या फिर इस कानून को रद्द करके इसकी जगह नया कानून जो कि संसद में 2011 से विचाराधीन है उसे अतिशीघ्र लागू कर देना चाहिए। जमीन के अधिग्रहण का अर्थ होता है उसके मूल वांशिदों का विस्थापन उन्हें रोजगार गारंटी देकर और प्रस्तावित परियोजना में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।
2. भूमि अधिग्रहण की सीमा 100 एकड़ से कम करके 50 एकड़ की जाए क्योंकि निजी क्षेत्र और विशेष रूप से एम.एस.एम. ई. क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि पर्याप्त होती हैं। इसलिए बिल के सभी प्रावधान 50 एकड़ और उस से अधिक भूमि के अधिग्रहण पर लागू हो।
3. जिन लोंगो की रोजी रोटी का नुकसान होगा उनके पुनर्वास एवं पुनर्संस्थापन तथा मुआवजे से संबंधित किसी राष्ट्रीय कानून का निर्माण करना चाहिए। उन किसानों के सहकारों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी जीविका उस भूमि पर निर्भर हैं।
4. भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्संस्थापन की जरूरत को आवश्यक रूप से एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखना चाहिए।
5. एल.एआर.आर विधेयक, 2011 यह पहला ऐसा विधेयक है जो भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्संस्थापन कि वकालत करता है जिसे आमली जामा पहनाना चाहिए।
6. किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करना हो तो उस क्षेत्र के 80 प्रतिशत परिवारों की प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से पहले सूचित सहमति दें।
7. जीविका खोने वाले परिवारों में (भूमिहीन मिलाकर) प्रति परिवार रूपये 3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता 12 महिनों तक देना चाहिए।
8. अगर परियोजना के अंतर्गत रोजगारों का सृजन किया जा रहा हो तो प्रति प्रभावित परिवार के पीछे एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए।
9. 20 वर्षों तक के लिए प्रति प्रभावित परिवार 2000 रूपये प्रतिमाह की अधिवर्षिता। इसमें मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
10. अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसी का घर परियोजना क्षेत्र में चला जाता है तो उसे इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक मकान बनाकर दिया जाना चाहिए। मकान कम से कम 50 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्र वाला होना चाहिए।
11. एकमुश्त 50 हजार रूपये का पुनर्संस्थापन भत्ता दिया जाना चाहिए।
परिवहन के लिए 50, हजार रूपये देना चाहिए।
12. पुनर्वास एवं पुनर्संस्थापन पैकेज के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए।
13. कम से कम 2.5 भूमि अथवा परियोजना में आ चुकी हर परिवार की भूमि जितनी जमीन। अगर यह सिंचाई परियोजना है तो एक एकड़ जमीन कमान एरिया में दी जाना चाहिए।
14. उसी एरिया में जगह चुनने की और पुनर्वास के मामले में पसंद जाहिर करने की स्वतंत्रता विस्थापितों को दी जानी चाहिए।
15. समुदाय एवं सामाजिक सभाओं के लिए निःशुल्क भूमि दी जानी चाहिए।
विस्थापन के मामले में विकास योजना तैयार की जाना चाहिए।
16. विस्थापन के पश्चात पुनर्वास स्थल पर स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, बिजली के कनेक्शन, पंचायत भवन, पुजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान, पेयजल की उचित व्यवस्था की सुनिश्चित की जाना चाहिए।
17. आंगनवाड़ी जहां बच्चों और माताओं को पोषक आहार संबंधी सुविधाएं दी जाना चाहिए।
18. ग्राम स्तर के डाकघर तथा बचत खाते खोलने की सुविधाएं दी जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मध्यप्रदेश संदर्भ भोपाल (2003), पृ. क्र. 156
 2. www.nvda.nic.in(net-5-09)history of indra sager dam
 3. अन्यायपूर्ण विकास से उपजा विस्थापन, नीति मार्ग 2001,
 4. अन्यायपूर्ण विकास से उपजा विस्थापन, नीति मार्ग 2001,
 5. अलेक्स एक्का, (2003), "झारखंड: विस्थापन और पुनर्वास" भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली, पृ. क्र. 3-5
 6. डॉ. ब्रम्हदेव शर्मा, (2001), "विस्थापन की त्रासदी", नीति मार्ग, पृ. क्र. 3-7
-

7. Colin Claik (1940), the conditions of economic profess P.No. 282) भारतीय अर्थव्यवस्था रूद्र दत्त, पी. एम. सुदरम।
8. समाज कार्य परिभाषा कोष, (Economics encyclopidya) भारतीय अर्थव्यवस्था,रूद्र दत्त,के.पी.एम.सुंदरम
9. Colin Claik (1940), the conditions of economic profess P.No. 282) भारतीय अर्थव्यवस्था रूद्र दत्त, पी. एम. सुदरम।
10. Refrence-[htt.www.definitions.net/occupation.1-](http://www.definitions.net/occupation.1)
11. गुप्ता रामप्रसाद, कावड़िया गणेश, (2009), "परियोजना में विस्थापन : स्वरूप तथा त्रासदी, "अर्थशास्त्र अध्यायनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर पृ. 24.